(118)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1580—एक/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 12—09—2005 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 231/2003—04/अपील

.....

लाड़कुंवर बाई पुत्री बल्देवा लुहार
निवासी— ग्राम सांबलखेड़ा, हाल निवासी— सिविल लाईन,
खुरई जिला— सागर, (म0प्र0)

..... आवेदिका

विरूद्ध

छोटेलाल पुत्र बल्देवा लुहार
निवासी— ग्राम सांबलखेड़ा, तहसील— मुंगावली
जिला—अशोकनगर (म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री मुकेश भर्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 15-11-2016को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12—09—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा पंजी क्र0 67 पर दिनांक 17.04.85 को ग्राम सांबलखेडा की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक किता—3 रकबा 2.873 पर भूमिस्वामी बल्देवा के फौत होने पर वारिस की हैसियत से छोटेलाल के नाम पर नामांतरण के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका लाड़कुवंर बाई के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समक्ष दिनांक 08.08.2003 को अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 155/2002—03/अपली में पारित आदेश दिनांक

27.01.2004 को अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य भूमि पर उभयपक्ष के हक में समान भाग पर नामांतरण के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 231/2003–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 12.09.2005 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश अपास्त किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि आवेदिका व अनावेदक बहिन–भाई है । अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक को परेशानी की सही जानकारी दिये बिना कूटरचित तरीके से सिजरा खानदान प्रमाणित कराकर एक मात्र अपने को वारिस बताकर पूरी भूमि पर अपने नाम राजस्व निरीक्षक से पंजी क्रमांक 67 पर आदेश पारित कर दिनांक 17.04.85 द्वारा आदेश करा लिया । माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा कई न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित किया है कि धारा 109 तथा 110 बिना हक उद्घोषणा एवं हितधारी व्यक्ति को सूचना दिये बिना नामांतरण किया गया है तब उस स्थिति में नामांतरण आदेश अवैध है एवं उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक ने अविवादित मानकर नियम 27 एवं 28 का पालन किये बिना हक के आवेदकिा के हिस्से पर भी नामांतरण कर दिया । ऐसे आदेश के विरूद्ध परिसीमा का वर्जन नहीं है किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समय प्रथम अपील प्रस्तुत की थी जो उन्होंने इसी आधार पर स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित नामांरतण आदेश निरस्त कर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित अवैध नामांतरण आदेश को यथावत रखने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि आवेदिका की प्रथम अपील समय वर्जित भी । ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय उसे सुनने के लिये सक्षम नहीं था। जबकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा कई न्याय दृष्टातों में प्रतिपादित किया है कि बिना हक में नामांतरण आदेश अवैध है । ऐसे के आदेश के विरूद्ध समय वर्जित अपील परिसीमा का वर्जन नहीं अपील गुण–दोषों पर निर्णित करना चाहिये। विलंब की माफी बेफिक्र है। नामांतरण के मामले में आवेदिका को व्यक्तिगत सूचना की तामील नहीं की गई ।

ऐसी स्थिति में आवेदिका की प्रथम अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन मय शपथ पत्र के साथ समर्पित था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा अपने आदेश पत्रिका दिनांक 13.01.04 द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई कर सुसंगत आधार देते हुये विलंभ माफ किया था, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा यह उल्लेख कर कि प्रथम अपील विलंबित थी । ऐसी अपील में पारित आदेश अक्षम है इस आधार पर उक्त आदेश निरस्त करने में भूल की है। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि नामांतरण के दौरान इश्तहार जारी किया है। आपत्तियां आहूत की है कोई आपत्ति नहीं आई प्रस्तुत पंचनामा एवं साक्ष्य के आधार पर यह नही माना जा सकता कि राजस्व निरीक्षक द्वारा गोपनीय रूप से कार्यवाही की है जबकि इसके विपरीत प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पंजी क्रमांक 67 आदेश दिनांक 17.04.85 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रविष्टि दिनांक 04.04.85 को पटवारी द्वारा दर्ज की गई है। इसमें इश्तहार संलग्न नहीं है। प्रविष्टि दर्ज करने तथा आदेश पारित करने की शब्दावली से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई आपत्ति प्राप्त हुई या नहीं । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किये बिना मनमाने तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से अनावेदक को लाभ पहुंचाने की मशां से अभिलेख का तोड मरोडकर विश्लेषण कर अनावेदक की अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है जो निरस्त करने योग्य है। अनावेदक ने सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है उक्त वाद में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन आदेश दिनांक 23.05.05 द्वारा निरस्त किया है। अपर आयुक्त के समक्ष आवेदिका की और से उक्त दावा एवं स्थंगन आदेश निरस्ती एवं खसरा खतौनी की फोटोप्रति प्रस्तुत की थी एवं कई न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये थे अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में उक्त दस्तावेजों एवं न्याय दृष्टाता का लैस मात्र उल्लेख तक नहीं किया। जबकि आवेदिका के पक्ष में निराकृत करने के लिए उक्त दस्तावेज महत्वपूर्ण थे। अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक से पंजी कार्यवाही द्वारा कूट रचित सिजरा पेश कर अपने नाम नामांतरण करा लिया था । उक्त आदेश कि जानकारी होने पर आवेदिका ने अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त किया है। प्रथम अपीली न्यायालय के आदेश के परिणाम में आवेदिका का राजस्व अभिलेख में 1/2 हिस्से पर नाम दर्ज हो गया । अनावेदक उक्त प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं कर सका कि आवेदिका का उक्त भूमि पर हक अथवा हिस्सा नहीं है। जब यह प्रमाणित नहीं है तब अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक की किस आधार पर

अपील स्वीकार की मात्र परिसीमा के बिन्दू पर राजस्व निरीक्षक का अधिकारिता रहित अवैध आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। नामांतरण होने मात्र से स्वत्व प्राप्त नहीं होता बल्कि स्वत्व के आधार पर नामांतरण होता है। अनावेदक द्वारा आवेदिका के 1/2 हिस्से पर बिना स्वत्व के कराये गये नामांतरण आदेश को प्रथम अपील न्यायालय द्वारा निरस्त करने का वैध आदेश पारित किया था, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की है। ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा 1985 में पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लगभग 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है, जिसमें जानकारी प्राप्त होने का दिनांक 20.06.2003 को होना बताया है जब कि उसके पूर्व ही आवेदिका दिनांक 04.0297 को अनावेदक को सूचना पत्र के माध्यम से यह अवगत करा चुकी है कि उसके हिस्से की भूमि वह वापिस लेना चाहती है । इससे यह प्रकट है कि आलोच्य आदेश की जानकारी उसे तत्समय रही है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 20.06.2003 को जानकारी प्राप्त होने का कोई ठोस आधार भी प्रस्तुत नहीं किया गया। पंजी के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट है कि पंजी का विधिवत प्रकाशन किया गया और आपत्तियां भी आहूल की गई है एवं ग्रामवासियों, पटेल पअवारी आदि के द्वारा सिजरा भी प्रमाणित किया गया है। कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत वारिसान के आधार पर नामांतरण का आदेश दिया गया है। यदि आवेदिका को उसी समय कोई आपत्ति थी, तो प्रस्तुत करना चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो पटवारी रिर्पोट आहूल की गई है, उस रिर्पोट के परिप्रेक्ष्य में संबंधित पटवारी के कथन भी अंकित किये जाना आवश्यक था, कि पूर्व में किस आधार पर सिजरा प्रमाणित हुआ है। अतएव अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया और न ही समयावधि के बिन्दू पर ही गम्भीरता से कोई विचार किया गया है। जब कोई अपील समय वर्जित है तब अपील न्यायलय उसे सुनने के

लिये सक्षम नहीं है। न्यायालय की अंतनिर्हित शक्ति के अधीन समय वर्जित अपील नहीं सुनी जा सकती है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के आदेश को निरस्त किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 12.09.2005 विधि संगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर